न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, एवम् न्याय निर्णयन अधिकारी, सवाईमाधोपुर
पीठासीन अधिकारी —श्री महेन्द्र लोढ़ा

सिविल प्रकरण संख्या 13/14 तारीख रजू 04/08/14

राजस्थान सरकार जरिए खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवम् स्वा
अधिकारी,सवाईमाधोपुर। —आवेद

बनाम

1. रूपचन्द जैन पुत्र श्री हेमराज जैन (खाद्य कारोबारकर्त्ता एवं मालिक) मैसर्स सुनीता ज स्टोर बजरिया सवाई माधोपुर राज. निवासी 178 एम.पी. कॉलोनी सवाईमाधोपुर।
2. राजेश अग्रवाल पुत्र श्री विशम्भर दयाल अग्रवाल (खाद्य कारोबारकर्त्ता एवं मालिक) मैसर्स अनुपम ट्रेडिंग कार्पोरेशन 1443 द्वितीय चौराहा बाबा हरीशचन्द्र मार्ग चांदपोल बाजार ज (राज.)
3. बिशम्भर दयाल अग्रवाल पुत्र श्री प्रभुलाल अग्रवाल (भागीदार) मैसर्स पी.बी. इण्डस्टीज ऑयल मिल्स पोस्ट नंदबई जिला भरतपुर।
4. देवव्रत अग्रवाल पुत्र श्री बिशम्भर दयाल अग्रवाल पुत्र (भागीदार) मैसर्स पी.बी. इण्डस्टीज ऑयल मिल्स पोस्ट नंदबई जिला भरतपुर।
5. अनुपम अग्रवाल पुत्र श्री बिशम्भर दयाल अग्रवाल पुत्र (भागीदार) मैसर्स पी.बी. इण्डस्टीज ऑयल मिल्स पोस्ट नंदबई जिला भरतपुर।
6. भरत अग्रवाल पुत्र श्री देवव्रत अग्रवाल पुत्र (भागीदार) मैसर्स पी.बी. इण्डस्टीज एण्ड ऑ मिल्स पोस्ट नंदबई जिला भरतपुर।
7. मैसर्स पी.बी. इण्डस्टीज एण्ड ऑयल मिल्स पोस्ट नंदबई जिला भरतपुर।

न्याय निर्णयन आवेदन अन्तर्गत धारा 68 खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा 2(11)

::निर्णय:: दिनांकः— 3.1.19

उक्त न्याय निर्णयन आवेदन अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवम् मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी, सवाई माधोपुर द्वारा प्राधिकृत खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री नरेश कुमार चेजारा खाद्य सु अधिकारी (आवेदक) ने अन्तर्गत धारा 68खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप 2(ii) प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि आवेदक दिनांक 11/07/2013 को 04:30 पी.एम. पर दौराने मैसर्स सुनीता जनरल स्टोर बजरिया सवाई माधोपुर (राज.) पर पहुँचा वहा पर रूपचन्द जैन पुत्र श्री हेम जैन (मौके पर विक्रेता एवं खाद्य कारोबारकत्ता) निवासी 178 एम.पी. कॉलोनी सवाईमाधोपुर, उपस्थित थे आवेदक ने अपना परिचय पत्र दिखाकर परिचय दिया एवं विक्रेता से परिचय से लिया, तत्पश्चात विक्रेता उपस्थिति में दुकान का निरीक्षण किया दुकान में खाद्य पदार्थ सरसों का तेल (टेंक) 01 ली. की 28 प्लास्टि बोतले पैक अवस्था में विक्रय हेतु रखी हुई थी। विक्रय हेतु प्रदर्शित खाद्य पदार्थ सरसों का तेल (01 ली. मिसब्राण्ड प्रतित होने की शंका पर विक्रेता से खाद्य रजिस्ट्रेशन/खाद्य अनुज्ञापत्र मांगा, विक्रेत खाद्य अनुज्ञा पत्र बताया। खाद्य पदार्थ सरसों का तेल (टेंक) 01 ली. का नमूना लेने हेतु विक्रेता को अ कराया गया। तत्पश्चात् नमूना वास्ते जांच हेतु लेने की सूचना फार्म 5 ए की प्रति स्वतंत्र गवाह की उपस्थि में तैयार कर खाद्य करोबार कर्त्ता एवं गवाहान को पढ़कर सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को क जिस खाद्य करोबार कर्त्ता ने भी पढ़कर समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये एवं नमूने की औपचारिकता पूर्ण कर उक्त नमूना सीलड लिफाफे में पत्रवाहक मो0 असलम द्वारा खाद्य विश्लेषक कोटा जमा करवाकर प्राप्ति रसीद प्राप्त की तथा आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

खाद्य अधिकारी, सवाईमाधोपुर के पत्र कमांक एफएसएसए/2013/1413 दिनांक 21/08/2013 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक कोटा से प्राप्त जांच रिर्पोट सं. एफएसएसएल/कोटा/2013/195 दिनांक 23/07/13 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ सरसों का तेल (टेंक) 01 ली. मिसब्राण्ड (पैकेजिंग एवं लेबेलिंग रेगुलेशन 2011 का उल्लंघन) पाया गया। अभियुक्त नं0 एक एवं दो ने मिसब्राण्ड खाद्य पदार्थ सरसों का तेल (टेंक) 01 ली. का विक्रय एवं भण्डारण कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(11) का उल्लधंन किया है एवं अभियुक्त नं0 तीन से सात ने मिसब्राण्ड खाद्य पदार्थ सरसों का तेल (टेंक) 01 ली. का विक्रय एवं निर्माण कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(11) का उल्लधंन किया है जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 52 में जुर्माने योग्य अपराध है।

न्याय निर्णयन आवेदन प्रस्तुत होने पर दर्ज किया जाकर अभियुक्त को जरिए सम्मन तलब किया गया। अभियुक्त सं0 1,2 तथा 4 लगायत 7 मय अधिवक्ता उपस्थित हुए तथा अभियुक्त संख्या 3 की फोत हो जाने पर अग्रार्थी सं0 3 का नाम हजफ किया गया। अभियोजन अधिकारी एव अभियुक्त को सुना गया।

अभियोजन अधिकारी ने न्याय निर्णयन आवेदन पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया कि अभियुक्त नं0 एक एवं दो ने मिसब्राण्ड खाद्य पदार्थ सरसों का तेल (टेंक) 01 ली. का विक्रय एवं भण्डारण कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(11) का उल्लधंन किया है एवं अभियुक्त नं0 तीन से सात ने मिसब्राण्ड खाद्य पदार्थ सरसों का तेल (टेंक) 01 ली. का विक्रय एवं निर्माण कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(11) का उल्लधंन किया है। अतः अभियुक्त को अधिकतम शास्ति से दण्डित किया जावे।

अभियुक्त सं0 1 व 2 के अधिवक्ता ने दौराने बहस निवेदन किया है कि हमारे द्वारा उक्त मिसब्राण्ड खाद्य पदार्थ सरसों के तेल (टेंक) 1 लीटर का केवल विक्रय किया जाता है निर्माण नहीं किया जाता। हमारे पास कम्पनी द्वारा सील पेंक तेल आता है, जिससे उसी अवस्था में विक्रय कर दिया जाता है। अतः हमारे विरूद्ध प्रस्तुत उक्त कार्यवाही निरस्त फरमाई जावें। अभियुक्त सं0 4 लगायत 7 के अधिवक्ता ने दौराने बहस निवेदन किया है कि उक्त तेल मिसब्राण्ड माना है। लेबल के बारे में कुछ नहीं बताया है, साथ ही उक्त कार्यवाही निरस्त करने हेतु निवेदन किया है।

उभय पक्ष की बहस सुनने व आवेदक द्वारा प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन व दस्तावेजात का अवलोकन करने के उपरान्त इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि खाद्य विश्लेषक कोटा से प्राप्त जांच रिर्पोट सं. एफएसएसएल/कोटा/2013/195 दिनांक 23/07/13 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ सरसों का तेल (टेंक) 01 ली. मिसब्राण्ड (पैकेजिंग एवं लेबेलिंग रेगुलेशन 2011 का उल्लंघन) पाया गया तथा अभियुक्त ने दौराने बहस ऐसा कोई तथ्य/दस्तावेज/गवाह पेश नहीं किए जिससे यह खाद्य पदार्थ सबस्टेण्डर्ड प्रतीत नहीं होता हो, साथ ही अभियुक्त उक्त जांच रिपोर्ट से संतुष्ट नही था तो रिफरल प्रयोगशाला में जांच हेतु निर्धारित अवधि में आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकता था।

उक्तांकित विवेचन के आधार पर अभियुक्त खाद्य सुरक्षा एवम् मानक अधिनियम,2006 व नियम 2011 की धारा 26 (2) (11) का अपराध कारित करने का दोषी माना जाकर दोष सिद्ध अपराधी करार दिया जाता है तथा उक्त आपराधिक कृत्य के कारित करने पर खाद्य सुरक्षा एवम् मानक अधिनियम 2006 की धारा 52 के अन्तर्गत आर्थिक शास्ति राशि के दण्ड से दण्डित किये जाने का प्रावधान प्रावधित हैं तथा चूंकि अभियुक्त द्वारा उक्त आपराधिक प्रकृति का अपराध प्रथम बार किया जाना पाया जाता है।

अतः अभियुक्त सं0 1 व 2 को मिसब्राण्ड प्रकृति के खाघ पदार्थ सरसों का तेल (टेंक) 01 ली. का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की धारा 26 की उपधारा (2) (11) का उल्लंघन करने पर

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

17/A

खाद्य सुरक्षा एवम् मानक अधिनियम 2006 की धारा 52 के अन्तर्गत पृथक–पृथक रूप से 20,000–20,000 रूपये (बीस–बीस हजार रूपये) की आर्थिक शास्ति राशि से अधिरोपित करने के दण्ड से दण्डित किया जाता है तथा अतः अभियुक्त सं0 4 लगायत 7 को मिसब्राण्ड प्रकृति के खाद्य पदार्थ सरसों का तेल (टैंक) का क्रय विक्रय व निर्माण कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की धारा 26 की उपधारा (2) (11) का उल्लंघन करने पर खाद्य सुरक्षा एवम् मानक अधिनियम 2006 की धारा 52 के अन्तर्गत पृथक–पृथक रूप से 50,000–50,000 रूपये (पचास–पचास हजार रूपये) की आर्थिक शास्ति राशि से अधिरोपित करने के दण्ड से दण्डित किया जाता है एवम् अभियुक्तगण को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त दण्डित शास्ति राशि तीस दिवस की अवधि के भीतर –भीतर न्याय निर्णय अधिकारी एवम् अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,सवाईमाधोपुर के पक्ष में देय राष्ट्रीयकृत बैंक से जारी रेखांकित ड्राफ्ट द्वारा न्याय निर्णयन अधिकारी को जमा करवावें। अन्यथा गुजरने मियाद अपील नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जावेगी।आदेश की एक प्रति आवेदक को तथा एक प्रति अभियुक्त को यदि उपस्थित हो तो व्यक्तिशः या प्राधिकृत व्यक्ति को परिदत्त की जावे अन्य स्थिति में आदेश की प्रति जरिए पंजीकृत डाक प्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 3.1.19 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(महेन्द्र लोढ़ा)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवम्
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट